राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2186/2025

डॉ. संतोष बारवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता एवं
श्री विजेन्द्र सिंह मीणा, प्रभारी अधिकारी

एवं

अपील संख्या :– 2268/2025

डॉ. बालमुकुट शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बस्सी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता एवं
श्री विजेन्द्र सिंह मीणा, प्रभारी अधिकारी

आदेश की दिनांक : 11.07.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपील संख्या 2186/2025 के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर राजकीय उप जिला अस्पताल, बस्सी, जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निलंबित किया गया है और मुख्यालय निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर कार्यालय किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 17.07.2024 को उक्त चिकित्सालय परिसर के रेस्ट रूम (विश्राम कक्ष) में उपस्थित थी और डॉ. बालमुकुट शर्मा भी वहां पर उपस्थित थे, जो चिकित्सा अधिकारी गायनी के पद पर उक्त चिकित्सालय में कार्यरत हैं, उनके साथ मुकेश चौधरी एवं सुधा चौधरी ने अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, जिससे प्रताड़ित होकर अपीलार्थी ने दिनांक 17.07.2024 को डॉ. बालमुकुट शर्मा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी और उक्त मामले की जांच हेतु अपीलार्थी ने विभाग को निवेदन किया तथा शिकायती आधार पर मामले की जांच हेतु कमेटी गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट पेश की गई। परंतु अपीलार्थी को नहीं दी गई। उनका यह भी तर्क है कि एफआईआर दर्ज होने के 6 माह बाद आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को साथ ही डॉ. बालमुकुट शर्मा को निलंबित किया गया। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक कारण के निलंबित किया गया है और अभी तक जांच अपीलार्थी के विरूद्ध लंबित है और इस प्रकार गलत तरीके से अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को निलंबित हुये तीन माह (90 दिवस) से भी अधिक का समय हो चुका है, परंतु आदिनांक तक अपीलार्थी को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी वाले मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.02.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बस्सी, जिला जयपुर में नियमित कार्य करने के आदेश प्रदान करते हुये समस्त सेवा लाभ दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ गायनी के पद पर कार्यरत है, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बस्सी, जयपुर को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 07.05.2025 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये। अपीलार्थी को उक्त चिकित्सालय में कार्यरत अन्य स्टाफ से दुर्व्यवहार नहीं करने के संबंध में कई बार चेतावनी देने के पश्चात् भी कोई सुधार नहीं हुआ। अपीलार्थी द्वारा उच्च अधिकारियों को अपशब्द कहे गये और दिनांक 01.08.2023 को चिकित्सालय में पदस्थापित लैब टेक्निशियन विनोद शर्मा को थप्पड मारने की अपीलार्थी दोषी है। पत्र दिनांक 10.03.2025 की पालना में दिनांक 07.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी एवं डॉ. बालमुकुट शर्मा के संबंध में सीसीए नियम 16 के तहत संयुक्त रूप से आरोप पत्र तैयार कर भिजवाये गये और प्रशासनिक विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोप पत्र आदि भेजे गये हैं और इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार निलंबित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि कार्मिक विभाग द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 10.06.2025 को दिया जा चुका है और आरोप भी अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये जा चुके हैं और अपीलार्थी को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया है। इस प्रकार उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थी को आरोप पत्र (Chargesheet) जारी किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 2268/2025 के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (गायनी) के पद पर राजकीय उप जिला अस्पताल, बस्सी, जिला जयपुर में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी निलंबित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.02.2025 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निलंबित किया गया है और मुख्यालय निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर कार्यालय किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है और उसे आदिनांक तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार विभागीय जांच विचाराधीन होना नहीं माना जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम जानकी रमन एआईआर 1991 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र देने के पश्चात् ही जांच विचाराधीन मानी जा सकती है और कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जिसमें किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच आरोप पत्र दिये जाने के पश्चात् ही विचाराधीन मानी जा सकती है। परंतु वर्तमान मामले में अपीलार्थी को कोई आरोप पत्र आदिनांक तक नहीं दिया गया है तथा आलोच्य आदेश में यह भी अंकित नहीं किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 अथवा 17 के अंतर्गत जांच विचाराधीन है। उनका यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राज्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि विभाग द्वारा कर्मचारी/अधिकारी को सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र दिये जाने का निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया जाता है तो इस आधार पर कर्मचारी/अधिकारी को निलंबित किया जाना अनुचित व अवैध है तथा आदेश में अंकन किया गया है कि यदि सीसीए नियम 16 प्रस्तावित भी कर दिया और अंतिम निर्णय नहीं लिया है तो भी इस आधार पर निलंबित किया जाना अनुचित है। अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में उक्त नियम का कोई अंकन नहीं किया गया है और इस प्रकार आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध है तथा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को निलंबित हुये तीन माह (90 दिवस) से भी अधिक का समय हो चुका है, परंतु आदिनांक तक अपीलार्थी को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी वाले मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.02.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी (गायनी) के पद पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बस्सी, जिला जयपुर में नियमित कार्य करने के आदेश प्रदान करते हुये समस्त सेवा लाभ दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी गायनी के पद पर कार्यरत है, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बस्सी, जयपुर को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 07.01.2025 के द्वारा सीसीए नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये। पत्र दिनांक 10.03.2025 की पालना में दिनांक 07.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी एवं डॉ. बालमुकुट शर्मा के संबंध में सीसीए नियम 16 के तहत संयुक्त रूप से आरोप पत्र तैयार कर भिजवाये गये और प्रशासनिक विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोप पत्र आदि भेजे गये हैं और इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार निलंबित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि कार्मिक विभाग द्वारा अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 10.06.2025 को दिया जा चुका है और आरोप भी अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये जा चुके हैं और अपीलार्थी को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया है। इस प्रकार उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थी को आरोप पत्र (Chargesheet) जारी किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं दोनों अपीलों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपील संख्या 2186/2025 में अपीलार्थी डॉ. संतोष बारवाल, वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) एवं अपील संख्या 2268/2025 में अपीलार्थी डॉ. बालमुकुट शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (गायनी) दोनों राजकीय उप जिला चिकित्सालय, बस्सी, जिला जयपुर में कार्यरत हैं। दोनों अपीलों के तथ्य एवं अपील के जवाब तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों कार्मिकों के आपसी झगडे एवं चिकित्सालय में माहौल खराब होने एवं राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत अपीलार्थीगण के विरूद्ध आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.02.2025 जारी कर उन्हें निलंबित किया गया है, जिसमें हमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपीलार्थीगण को उक्त आलोच्य निलंबन आदेश जारी होने के 90 दिवस से अधिक समय के

उपरांत भी आरोप पत्र नहीं दिये जाने के आधार पर निलंबित रखे जाने का प्रश्न है, उक्त दोनों मामलों की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त शपथ पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को दिनांक 10.06.2025 को कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र दिया जा चुका है और उक्त पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थीगण को 15 दिवस का समय दिया गया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण को आरोप पत्र नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थीगण के उक्त तर्कों में हम कोई बल नहीं पाते हैं। अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में जारी किया गया आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.02.2025 नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना दर्शित नहीं होता है। अतः उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की उपरोक्त दोनों अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2186/2025 (डॉ. संतोष बारवाल) में रखा जाकर, के साथ अपील संख्या 2268/2025 (डॉ. बालमुकुट शर्मा) टैग की जाती है एवं आदेश की छाया प्रति अपील संख्या 2268/2025 (डॉ. बालमुकुट शर्मा) में रखी जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष